राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2018/870 दिनांक 15/5/18

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व वाद सं. 195/17 अनवान पोकरराम बनाम पीराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अ. में पारित निर्णय की पालना करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 11.05.18 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :- निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर चौहटन** **मुकाम** **चौहटन**

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण – **1.पोकरराम 2.ठाकराराम 3.धर्माराम पि.डूंगराराम, 4.पदमों पत्नि डूंगराराम जाति जाटि, निवासी गिरधारी का तला, ईशरोल, तहसील चौहटन**

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.पीराराम 2.धर्माराम पि.लिच्छूराम 3.ओपाराम 4.सालूराम 5.चेतनराम पि. राउराम जाति जाट, निवासी गिरधारी का तला, ईशरोल**
6. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री मुकीम खान**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री अनिल गोदारा**

वाद बाबत 183,188 RT Act.
मुकदमा नं. 195/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री मुकीम खान** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री अनिल गोदारा** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा गिरधारी का तला, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन के खेत खसरा नं. 131 रकबा 15.12 बीघा का आया हुआ है। उक्त भूमि में से रकबा 6864 वर्ग फीट भूमि पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश दिये जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के उक्त खसरा सं. 131 रकबा 15.12 बीघा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावे।**
लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.05.2018 को जारी की गई।

दस्तखत..........................
ओहदा..........................
सहायक कलक्टर चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 195/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण –	**1.पोकरराम 2.ठाकराराम 3.धर्माराम पि.डूंगराराम, 4.पदमों पत्नि डूंगराराम जाति जाटि, निवासी गिरधारी का तला, ईशरोल, तहसील चौहटन**

बनाम

प्रतिवादीगण –	**1.पीराराम 2.धर्माराम पि.लिच्छूराम 3.ओपाराम 4.सालूराम 5.चेतनराम पि. राउराम जाति जाट, निवासी गिरधारी का तला, ईशरोल 6. तहसीलदार चौहटन**

अधिवक्तागण –	वादीगण वकील –	**श्री मुकीम खान**
	प्रतिवादीगण वकील –	**श्री अनिल गोदारा**

<u>अन्तर्गत धारा 183,188 RT Act.</u>

निर्णय

दिनांक :– 11.05.2018

वादीगण द्वारा पेश वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण स्वयं के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार के खेत मौजा गिरधारी का तला, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 131 रकबा 15.12 बीघा का आया हुआ है। प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त खेत वादग्रस्त भूमि के सेढ़ा पड़ौसी है। जो बदमाश, झगड़ालू प्रवृति के धनिक, बलशाली व्यक्ति है। प्रतिवादीगण ने अपने राजनैतिक प्रभाव एवं धनबल के आधार पर वादीगण के उक्त खातेदारी भूमि खसरा सं. 131 में से 1056 फीट लम्बा व 13 फीट चौड़ कुल 6864 वर्गफीट भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है।

वादीगण ने अपने खेत का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार चौहटन ने वादीगण के खेतों का सीमाज्ञान करवाने हेतु पटवारी हल्का ईशरोल को आदेशित किया । तहसीलदार चौहटन के निर्देशानुसार हल्का पटवारी ने दिनांक 15.12.2015 को सीमाज्ञान करते हुए एवं मौका की जमीन नापकर फर्द मौका तैयार की। जिसमें खसरा सं. 131 रकबा 15.12 बीघा के उतरी पश्चिमी भाग में रकबा 6864 वर्गफीट भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध व अनाधिकृत कब्जा पाया गया है, जो फर्द में दर्शाया गया है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने कब्जा नहीं हटाया ।

सहायक कलक्टर
चौहटन

वादीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध एवं अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को वादीगण हटवाने का अधिकारी है । इसलिए वादीगण ने वाद पेश कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाने व प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गइ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री अनिल गोदारा ने वकालतनामा पेश किया ।

वादीगण वकील की ओर से लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबन्दी व नक्शा मौजा गिरधारी का तला के खसरा सं. 131 संवत् 2072–2075, फर्द मौका दिनांक 15.12.2015 की छायाप्रति पेश की ।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ईशरोल में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 5 उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया । उपस्थित प्रतिवादीगण सं. 1 व 5 को वादीगण का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा गिरधारी का तला, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन के खेत खसरा नं. 131 रकबा 15.12 बीघा भूमि में से रकबा 6864 वर्ग फीट भूमि पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश दिये जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के उक्त खसरा सं. 131 रकबा 15.12 बीघा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावे।**

निर्णय आज दिनांक 11.05.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ईशरोल मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर
चौहटन